गहलोत का बचाव करने उतरे धारीवाल

धारीवाल की बयानबाजी पर दिव्या मदेरणा ने करारा जवाब दिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को जयपुर के घाट की गूणी में स्वतंत्रता सेनानी एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल स्व. पं. नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर बृज किशोर शर्मा, विधानसभाध्यक्ष सी.पी.जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, महेश जोशी, ममता भूपेश और विधायक रफीक खान सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस में इन दिनों नेता एक दूसरे पर बांट पलटवार का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार को अजमेर में जहां सचिन पायलट ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फिर निशाना साधा। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इशारों-इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा। इसी के साथ शांति धारीवाल ने भी गहलोत के कई नेताओं को पानी पिलाने का बयान दिया तो विधायक दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर 25 सितंबर को समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए।

गहलोत ने जयपुर में पंडित नवल किशोर शर्मा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो कभी पार्टी के प्रति लॉयल नहीं होते, वे कभी कामयाब भी नहीं होते। मैं हमेशा सभी का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम किया, यही कारण रहा कि मुझे पार्टी और सोनिया गांधी ने मौका दिया।

गहलोत ने कहा मुझे बाउजी स्व. पं. नवल किशोर शर्मा के साथ काम करने और आगे बढ़ने का अवसर मिला। मैंने कभी बाउजी में सीएम बनने की लालसा नहीं देखी थी। मैंने जब उन्हें राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष बनने के लिए कहा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने मेरा ऑफर स्वीकार किया था। गहलोत ने इशारे-इशारे में कहा कि मैंने कोशिश की है सबको साथ लेकर चलूं। लोकतंत्र में कामयाब वहीं होता है जो सबको साथ लेकर चलता। जो लोग गुटबाजी पैदा करते हैं, वह कभी कामयाब नहीं होता। जब मैं पहली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना तब सबको चुन-चुन कर कैबिनेट मंत्री बनाया, चाहे जिस का भी आदमी हो।

- गहलोत ने बयानबाजी करते हुए कहा कि, ''जो लोग गुटबाजी पैदा करते हैं, वह कभी कामयाब नहीं होते''
- धारीवाल ने गहलोत का बचाव करते हुए और सराहना करते हुए कहा कि, ''गहलोत ने अच्छे-अच्छों को पानी पिला दिया, बड़े-बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी''
- इस पर दिव्या मदेरणा ने धारीवाल पर पलटवार कर ट्वीट किया कि, ''1998 में मदेरणाजी के नाम पर 153 सीटें आई, उसके बाद कांग्रेस दो अंकों में सिमट कर रह गई, समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाकर धारीवाल, आलाकमान को पानी पिलाने वाले थे''

उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि आप बड़ी लाइन खींच दो बजाए दूसरों की लाइन काटे। मैंने भी वही काम किया। मैंने पूरी ईमानदारी, निष्ठा, नियम और पार्टी की नीति और सिद्धांतों के साथ काम किया। हर नेता का विश्वास जीता, इसलिए सोनिया गांधी ने मुझे मौका दिया। किसी नेता के लिए पार्टी के प्रति लॉयल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थारी-म्हारी करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग पार्टी के लिए कभी लॉयल भी नहीं होते और आज के वक्त में लॉयल्टी बहुत जरूरी है।

इसी कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि नवलकिशोर शर्मा बाउजी के नाम से फेमस थे। मेरे और उनके बीच गुरु-चेले का रिश्ता था। मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा और सच्चा शिष्य साबित हुआ और जो उनका साथ छोड़कर चले गए, उन्होंने कभी उनकी बुराई भी नहीं की थी। जब मुझे गहलोत ने बुलाकर कहा कि मैं मंत्री बनाना चाहता हूं तो मैं वहां से सीधा बाउजी के पास गया। उनको पूरी बात बताई तो मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा आज से तेरा हेड मास्टर अशोक गहलोत है। आगे से गहलोत का हर हुक्म मानना होगा। आज ये वही गहलोत हैं जिन्होंने अच्छे-अच्छों को पानी पिला दिया। बड़े-बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन गहलोत को जिम्मेदारी सौंपी।

धारीवाल का यह बयान सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए शांति धारीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि जीव तो जानते ही है व अजीव पहाड़, रास्ते इत्यादि भी चिल्ला चिल्लाकर इस बात की पुष्टि करेंगे कि 1998 में 153 सीटों का जनादेश स्वर्गीय परसराम मदेरणा के नाम पर आया था और 1998 के बाद कांग्रेस कभी 100 का आँकड़ा पार नहीं कर पायी । ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट में ही सिमटी रही। राजस्थान एवम हिंदुस्तान के किसी नेता में दम नहीं था कि उन्हें पानी पिला देते। वे जानता के नेता थे लेकिन उसूलों और सिद्धांतों के नेता भी थे।

धारीवालजी का यह बयान कि अशोक गहलोत ने कई बड़े-बड़े लोगों को पानी पिला दिया। जब पीसीसी चीफ थे, तो कई बड़े बड़े उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के लिए लेकिन किसी को नहीं बनने दिया। मैं शांति धारीवाल जी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। परसराम मदेरणा कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही थे व उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की किसी बात को कभी नहीं टाला। 25 सितम्बर को अधिकृत विधायक दल का बहिष्कार कर समांतर विधायक दल की मीटिंग अपने ख़ुद के सरकारी आवास पर रख कर आलाकमान को पानी पिलाने का काम करने वाले आप स्वयं ही थे।

गहलोत व डोटासरा के कहने से हत्या का मुकदमा दर्ज किया : दिलावर

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे की हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के झूठे मुकदमे को लेकर गुरूवार को भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा और मदन दिलावर ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेस को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए नाजायज और झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। जो अपराध कारित ही नहीं हुआ, उस पर मुकदमा कैसे बन सकता है। गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह मुकदमा कांग्रेस सचिव द्वारा सीएम गहलोत व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के कहने पर दर्ज किया गया है। इस तरह के मामले बताते हैं कि मुकदमा दर्ज करने वाले अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कैसे मूर्खतापूर्ण काम करते हैं।

प्रेस कॉंफ्रेस के दौरान पूर्व की घटना का हवाला देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा गया। इस बयान के जवाब में मैंने महज यह कहा था कि खरगे 80 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, और मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। सच तो यह है, कि गांधी परिवार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना ही नहीं चाहता, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खरगे को मारना चाहते हैं। राहत शिविरों के संबंध में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राहत शिविरों में कांग्रेस नेता भाषण देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहत शिविर में खा सुरक्षा योजना की सूची में अभी तक एक भी नाम नया नहीं जोड़ा गया,पेयजल व्यवस्था के नाम पर आमजन को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। बिजली यूनिट फ्री का ढिंढोरा पीटने वाली गहलोत सरकार फ्यूल चार्ज के नाम पर लोगों से चौगुनी रकम वसूल कर रही है।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम 4 स्थान जयपुर महानगर
दिनेश चन्द्र शर्मा विरुद्ध जनसाधारण
वाद बाबत घोषणा
वाद सं. 98सन् 2022

बनाम जन साधारण पुत्र....जाति....स्थान....ने आपके विरुद्ध.....के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 15 माह 07 सन् 2023 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 11 माह 05 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
अपर सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 4 जयपुर महानगर-प्रथम

Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/595/2022
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
BANK OF BARODA VS **M/S MARUTI NANDAN PLASTIC** Exh. No. 7645
To, (1) M/S MARUTI NANDAN PLASTIC D/W/S/O- Through Proprietor Smt. Sudha Sharma, a-153, Malhotra Nagar, Road, No.-1, Vaishwakarma Industrial Area, Jaipur, Jaipur, Rajasthan. (2) SHRI SUDHA SHARMA W/O SH PAWAN KUMAR SHARMA C-1241, 1242, 1243/3, 4-C, Colony, Loha Mandi Road, Macheda, Jaipur. Rajasthan
SUMMONS
WHEREAS, OA/595/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 25/01/2023.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of Rs.2473968/- (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- (i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; (iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; (iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; (v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 25/05/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: 15/02/2023.
Seal
Assistant Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jaipur

उत्तर पश्चिम रेलवे G20
शुद्धि पत्र
इस कार्यालय द्वारा ज्ञापित खुली निविदा सूचना संख्या जीएसयू/सीपीएम/जेपी/निविदा/23-24 दिनांक 22.04.2023 में निविदा सं. गति-शक्ति/इन्जी./जय/2023-24/19 जो दिनांक 25.05.2023 को खोली जानी है। उक्त निविदा में टेक्निकल बीड व वित्तीय बीड में प्री-बीड में जो सुझाव दिये गये हैं उनका जवाब व प्री-बीड के अनुसार संशोधित निविदा अपलोड की गई है। निविदा में किये गये संशोधनों को ध्यान में रख के बीड पोर्टल पर प्रस्तुत करें। यह अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
507-PR/23 उप. मुख्य इंजी. (जी.एस.यू.) जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 7/144 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 112.50 वर्ग मीटर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र कमांक 1409 दिनांक 19.07.1995 श्रीमती ऊषा तनेजा के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 22.09.1995 को करवाया गया। श्रीमती उषा तनेजा की मृत्यु दिनांक 25.02.2023 को हो जाने के कारण श्री राजीव तनेजा पुत्र श्री रोशन लाल तनेजा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति, वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री राजीव तनेजा पुत्र रोशन लाल तनेजा के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 28/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री अनिल पाटनी पुत्र श्री प्रकाश चन्द दीवान निवासी ओ-5-ए, दीवान जी का नसिया, सी-स्कीम, बीटीसी, जयपुर ने प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन मंदिर बडा दीवान जी मणिहारों का रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 45 जयपुर 1963 के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास की नवीन कार्यकारिणी का गठन कर नवीन कार्यकारिणी सदस्यों के नाम व विधान को कार्यालय रिकार्ड में दर्ज अभिलेख तथा श्री सरोज खेमका का नाम कार्यालय रिकार्ड से हटाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 16.06.2023
मोहर अदालत
रतन लाल योगी (आर.ए.एस.) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

खोया पाया
जेडीए द्वारा जारी पट्टा योजना मुंडिया रामसर के भूखण्ड संख्या 1-305 का स्टाम्प (500+50) के खो गए है सूचित करें हनुमान बंजारा 9799713055

भूखण्ड संख्या 535 योजना मनोहरपुरा कच्ची बस्ती, जगतपुरा, जयपुर के मूल पट्टा विलेख, साईट प्लान व स्टाम्प मय आवंटन पत्र व नाम हस्तान्तरण पत्र गुम हो गये है सूचित करें। गायत्री सेन, मो. 7790900144

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-1963 दिनांक-11.05.2023
जाहिर आम सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर में आवेदक श्री तरूण कुमार बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा द्वारा आवेदन क्रमांक RHB/037109 अल्प आय वर्ग में आवास आवंटन हेतु निवेदन करने पर वरियता क्रमांक P-37/G-IV/LIG/HPS/SEC-26/2021 प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री तरूण कुमार बैरवा को किया जाकर आरक्षण पत्र 8147 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा जारी किया गया। श्री तरूण कुमार बैरवा की मृत्यु दिनांक 12.02.2023 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती लोटन्ती देवी पत्नी स्व. श्री तरूण कुमार बैरवा द्वारा उक्त पंजीकरण को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त पंजीकरण के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती लोटन्ती देवी पत्नी स्व. श्री तरूण कुमार बैरवा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक-एफ-13()उपा.आयो.-II/ननिज/2023/1091 दिनांक-10.05.2023
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड सं. 19 जगन्नाथपुरी-ए, झोटवाडा (श्री छत्रपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री ईमरान पुत्र श्री चांद मोहम्मद को क्षेत्रफल 202.22 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी ने जरिए रजि. विक्रय पत्र द्वारा श्री समीर खान के पक्ष में बेचान किया गया। श्री समीर खान ने जरिए रजि. विक्रय पत्र द्वारा श्री महमूद चौधरी पुत्र गुलाम सरवर चौधरी के पक्ष में बेचान किया गया। आवेदक श्री महमूद चौधरी पुत्र गुलाम सरवर चौधरी द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 202.22 व.ग. का नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड पट्टा से फ्री होल्ड पट्टा चाहा गया है। श्री महमूद चौधरी पुत्र गुलाम सरवर चौधरी द्वारा उक्त भूखण्ड के मूल दस्तावेज गुम होना बताया गया है जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा समाचार पत्र में खोया-पाया की सूचना प्रकाशित करवायी जा चुकी है। उक्त भूखण्ड के लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी किए जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना-द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पत्रावली नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (आयोजना द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राज्य सरकार जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने के पक्ष में नहीं है : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जयपुर बम कांड के आरोपियों के राजस्थान हाईकोर्ट से बरी होने के मामले में राजस्थान सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं किये जाने के पश्चात् 13 अप्रैल को भाजपा ने जयपुर बम ब्लास्ट के दो पीड़ित पक्षकारों राजेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्व. ताराचंद सैनी एवं अभिनंदन तिवाड़ी पुत्र स्व. मुकेश तिवाड़ी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान हाईकोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश को रद्द करने के लिए रीट याचिका प्रस्तुत की थी जो अब 12 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिपति अभय एस ओका व न्यायाधिपति राजेश बिंदल की खंडपीठ में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ है।

- नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में संबोधित किया

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 के निर्णय में राज्य सरकार को जांच एजेंसी, पुलिस व अभियोजन एजेंसी की लचर पैरवाई व अनुसंधान के कारण से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे लेकिन 43 दिन गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मात्र एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को दोषी मानते हुए हटाकर इतिश्री कर ली।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष भी कांग्रेस समर्थित 92 विधायकों का इस्तीफा प्रकरण विचाराधीन है। हैरानी की बात है कि राज्य सरकार अपने विधायकों की पैरवी के लिए दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से बड़े-बड़े अधिवक्ताओं को करोड़ों की फीस देकर बुलाती है जबकि ऐसे मामले जो जनता की संवेदना व भावनाओं से जुड़े हैं उनमें सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है जिससे दुर्दान्त, आतंकवादी रिहा हो गये।

राठौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि वह जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए 13 मई 2023 को जयपुर बम ब्लास्ट की 15 बरसीं पर भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवारों के समर्थन में जयपुर के 250 वार्डों में धरना भी देगी।

राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयपुर बम ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, अधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, अधिवक्ता हेमंत नाहटा व संजीव सिंघल की टीम सर्वोच्च न्यायालय में पैरवाई करेगी।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/181 दिनांक-26.04.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 91/32 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 91.50 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती आशा कुमारी जैन पत्नी श्री इन्द्रमान जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2828 दिनांक 30.06.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 03.08.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3035 दिनांक 06.03.2004 के द्वारा श्री रामवीर सिंह भगौर पुत्र श्री लीला सिंह के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 27.03.2004 को करवाया गया। श्री रामवीर सिंह भगौर पुत्र श्री लीला सिंह के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 18.07.2007 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 15.03.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुधा देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती सुधा देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 11/2023
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी महन्त शिवचेतन दास, श्री बेनामी सन्त आश्रम विकास एवं जन कल्याण समिति, बस स्टेण्ड ग्राम टिटपुरी, तहसील कठुमर, जिला अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री बेनामी सन्त आश्रम विकास एवं जन क्लयाण समिति, बस स्टेण्ड ग्राम टिटपुरी, तहसील कठुमर, जिला अलवर को नवीन व्यक्तियों का नाम दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07.06.2023
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लॉट नम्बर 49 (उत्तरी-पूर्वी हिस्सा) जिसको प्लॉट नम्बर 49-बी के नाम से जाना जावे, योजना राधिका विहार, जामडौली, आगरा रोड जयपुर क्षेत्रफल 73.88 वर्गगज जो कि श्री प्रदीप कुमार दीवान पुत्र श्री राजकुमार दीवान के अधिकार व कब्जे की है जिसका टाईटल चैन का एक विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2018 जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 201803182104045 जयपुर नवम में श्री शेर सिंह पुत्र श्री रूपसिंह के हित में पंजीबद्ध हुआ था। जो कि कहीं गुम हो गया है उक्त सम्पत्ति को मेरी अभिभाष्य बैंक केनफीन होम्स लि. शाखा जगतपुरा जयपुर के समक्ष बंधक रख ऋण प्राप्त किया जा रहा है।
अतः उक्त सम्पत्ति को श्री प्रदीप कुमार दीवान पुत्र श्री राजकुमार दीवान को मेरी अभिभाष्या बैंक केनफीन होम्स लि. शाखा जगतपुरा जयपुर के पक्ष में रहन रखे जाने में एवं सम्पत्ति के मालिकाना हक, कब्जे व स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालय/विभाग, आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिवक्ता (मोबाईल नंबर 9828225933 को सात दिवस के अन्दर लिखित में सूचित करें अन्यथा बाद उज्र/आपत्ति करने पर प्रभाव शून्य होंगे।
रचना सुखीजा, एडवोकेट, मो. 9828225933

गुमशुदा की तलाश

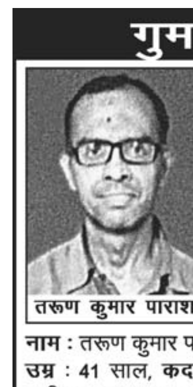

तरूण कुमार पाराशर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम **तरूण कुमार पाराशर, पुत्र स्व श्री महेश कुमार पाराशर, पता** सी-16ए, शंकर कॉलोनी जगतपुरा जयपुर-302001 जो दिनांक 02.02.2023 शाम 05.30 बजे जगत राम पार्क, थाना क्षेत्र लक्ष्मी नगर, दिल्ली से लापता है। इस संदर्भ में **डीडी सं. 44ए दिनांक 26.02.2023** थाना लक्ष्मी नगर, दिल्ली में दर्ज है। गुमशुदा व्यक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है :

नाम : तरूण कुमार पाराशर, **पिता का नाम :** स्व श्री महेश कुमार पाराशर, **उम्र** : 41 साल, **कद** : 5 फुट 4 इंच, **रंग** : गेहूँआ, **चेहरा** : अण्डाकार, **शरीरः** पतला, **पहनावा :** जिसने डार्क हरे रंग का स्वेटर और काले रंग का पैंट और पैरों में स्पोर्ट्स जूता पहने हुए है।

अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी/सूचना मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।
वेबसाइट : http://cbi.nic.in
ई-मेल : cic@cbi.gov.in
फैक्स : 011-24368639
फोन : 011-24368638, 24368641
DP/5033/ED/2023

थानाध्यक्ष
थाना : लक्ष्मी नगर, दिल्ली
फोनः 011-22542992, 8750870621

परिसीमन से राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन पैदा हो जाएगा : कोठारी

मुक्त मंच की 69वीं संगोष्ठी 'बढ़ती आबादी : संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर परमहंस योगिनी डॉ. पुष्पलता गर्ग, देवेन्द्र कोठारी, डॉ. नरेन्द्र शर्मा कुसुम और श्रीकृष्ण शर्मा सहित अन्य साहित्यकारों ने विचार व्यक्त किये।

जयपुर, (का.सं.)। अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्याविद् देवेन्द्र कोठारी ने कहा कि 2026 के परिसीमन से राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इससे जहां उत्तरप्रदेश में लोकसभा सीटों में बेहतहाशा बढ़ोतरी हो जाएगी वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में सीटें घटने से भाजपा को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग जनसंख्या के आधार पर वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह मिथ्या और कुप्रचार है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है।

मुक्त मंच की 69वीं संगोष्ठी 'बढ़ती आबादी : संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर परमहंस योगिनी डॉ. पुष्पलता गर्ग के सान्निध्य में हुई राजीव गांधी पोपुलेशन मिशन राजस्थान के निदेशक देवेन्द्र कोठारी मुख्य अतिथि थे। वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. नरेन्द्र शर्मा कुसुम ने अध्यक्षता की। शब्द संसार के अध्यक्ष श्रीकृष्ण शर्मा ने संगोष्ठी का संयोजन किया।

- आदर्श जनसंख्या के लिए संसद में नीति बननी चाहिए : अकिंचन

संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉ. कुसुम ने कहा कि सिद्धांत ही राजनीति अपनी वोट कैचिंग मानसिकता वाली नीति अपनाती है जो समस्या के समाधान में बाधक है। इस अवसर पर डॉ. जनक राज स्वामी, समाज सेवी बंशीधर अग्रवाल, यशवंत कोठारी, आनंद कुमार श्रीवास्तव, विष्णु लाल शर्मा और अजीत तिवारी ने भी विचार व्यक्त किए।

पूर्व बैंकर इन्द्र भंसाली ने कहा कि नीति निर्धारकों ने बढ़ती जनसंख्या के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इंजीनियर दामोदर चिरानिया ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण से जनसांख्यिकी लाभांश संसाधनों पर जनसंख्या बहुत बढ़ती चली गई है।

राज्य डांग क्षेत्र विकास समिति के पूर्व चेयरमैन डॉ. एस.एन. सिंह ने कहा कि यदि युवा श्रम शक्ति को निर्यातोन्मुखी बनाया जाए तो जनसंख्या बोझ की बजाय संपदा में तब्दील की जा सकती है। चिंतक एवं आईएएस (रि.) अरुण ओझा ने कहा कि विश्व जनसंख्या प्रतिवेदन के अनुसार देश में 25 वर्ष से कम आबादी 50 प्रतिशत है। चीन बुजुर्गों का देश बनता जा रहा है। भारत युवा देश है जिससे यहां लाभांश की संभावनाएं अधिक है।

सुपरिचित स्तंभकार ललित अकिंचन ने कहा कि आदर्श जनसंख्या के लिए संसद में नीति बननी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्र ने कहा कि कोई भी नीति बनाई जाए, उसमें लोक कल्याण और राष्ट्रहित के तत्व मौजूद होने चाहिए। दुर्भाग्य से हमारी नीतियां मल्टीनेशनल कंपनियां तय करती है। शासन को इसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।

राजीनामे से निपटेंगे मुकदमे

जयपुर। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को राजीनामे से मुकदमें निपटेंगे। लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में सुबह दस बजे हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे व प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एमएम श्रीवास्तव करेंगे।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि रामकिशन के पूजनीय पिताजी **श्री चौथूराम जी बडगोती** (पटेल) का स्वर्गवास बुधवार दिनांक 10.05.2023 को हो गया है। अतः जिनकी तीये की बैठक शुक्रवार 12.05.2023 को दोपहर 2 से 4 बजे। तक हमारे निवास स्थानः- लम्बरदार की ढाणी, गेट नं. 207 के सामने, रामसिंहपुरा पर रखी गई है।
शोकाकुल- पांचूराम, प्रभूनारायण, जगदीश, बद्रीनारायण, सुरजभान, चन्दालाल, रामेश्वर, कल्याण, बालेश्वर, बद्रीनारायण, नाथूलाल, हंसराज, सीताराम, रमेश, रामकुंवार, रामजीलाल, फूलचन्द, श्रवण, गणेश, छोटीलाल, प्रकाश मनोज, संजय एवं समस्त बडगोती परिवार।
मो.-9214519222, 9571428744

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम स्नेहा शेखावत पुत्री मनोहर सिंह शेखावत से बदलकर स्नेहा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी-इंद्र विहार एच ब्लॉक एयरपोर्ट रोड प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर-302033

In my Passport My name is wrongly written RamLaxman Agrawal while my correct name is Ramlaxman Agarwal In future, I will be known with my New name Ramlaxman Agarwal S/o Suraj Narayan Agarwal R/o 7, Shanti Path, Brahmpuri, Jaipur

I Bahadur Singh (No. JC-820721M), R/o 80, Indora Nagar, Sec-B, Nangal Jaisa Bohra, Jaipur Raj. 302012 In Army Service Record my wife's name Usha Chaudhary is wrong recorded, Correct is Usha Kumari, Vide Affidavit Dated 10.05.2023, Jaipur.

I Army no 14647363H Rank Ex NK Verma Sanjay Dharmpal S/o Dharmpal Verma R/o Village Keshripura, Post Sithal, Teh. Udaipurwati, Dist Jhunjhunu have changed my Son Name From KRISH is Wrong Entered in my service documents To KRISH CHOUDHARY (DOB 14 may 2008) vide affidavit dated 10 May 2023 before district court jaipur.

I Army no 14647363H Rank Ex NK Verma Sanjay Dharmpal S/o Dharmpal Verma R/o Village Keshripura, post Sithal, Teh. Udaipurwati, Dist Jhunjhunu have changed my Wife Name From PRIYANKA VERMA is Wrong Entered in my service documents To PRIYANKA KUMARI (DOB be 27 mar 1985) vide affidavit dated 10 May 2023 before district court jaipur.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	14228673 एवं 33010539	सम्पत्ति पर ऋण	1. टी.एम. ज्वैल्स प्रो. रवि दायमा 2. चिरंजी लाल दायमा 3. धीरज कुमार खटीक 4. सीमा दायमा	22.03.2023	52,96,526.52/-	फ्लैट नं. जी-3, ग्राउन्ड फ्लोर, क्षेत्रफल 1975 वर्गफिट (बिल्टअप एरिया), रिहायशी काम्प्लैक्स गणपति हाइट्स में स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर, प्लाट नं. एस-27-ए, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान-302019 का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमाये है-पूर्व-रोड 30 फिट चौडी, पश्चिम-प्लाट नं. एस-26, उत्तर-अन्य सम्पत्ति, दक्षिण-नाला एवं रास्ता 30 फिट चौडा

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।
ह./-
दिनांक- 12.05.2023
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)